उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Uttar Pradesh State Legal Services Authority

केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं

क्र सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता की शर्तें	संबंधित विभाग / नोडल अधिकारी	आवेदन करने का स्थान
1	सामूहिक विवाह योजना	गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली बेटियों / विधवा महिलाओं / तलाकशुदा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रू0 35000 / – की धनराशि कन्या के खाते में हस्तान्तरित की जाती है। रू0 10000 / – की सामग्री वधू को, रू0 6000 / – व्यवस्था हेतु।	कन्या की उम्र 18 वर्ष, वर की उम्र 21 वर्ष, अधिकतम आय रू0 200000 / – प्रति वर्ष, कन्या विकास खण्ड की निवासी अनिवार्य है।	जिला समाज कल्याण अधिकारी	विकास खण्ड कार्यालय
2	वृद्धावस्था पेंशन योजना	आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गो को जीवन–यापन के लिए आर्थिक सहायता। रू0 1000 / – प्रतिमाह खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।	उम्र 60 वर्ष से ऊपर ,आय 46000 अधिकतम वार्षिक (तहसीलदार द्वारा जारी), बैंक पासबुक, आनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	विकास खण्ड कार्यालय
3	निराश्रित महिला योजना	पति की मृत्यु के पश्चात् निराश्रित हुई महिलाओं को आर्थिक सहायता। रू0 1000 / – प्रतिमाह खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।	उम्र 18 वर्ष से अधिक, आय 200000 वार्षिक (तहीलदार द्वारा जारी), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, ऑनलाईन आवेदन, पत्र की हार्ड कॉपी	जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास खण्ड कार्यालय
4	पिछड़ा वर्ग विवाह अनुदान योजना	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से गरीब बेटी के परिवार को विवाह हेतु आर्थिक सहायता। रू0 20000 / – धनराशि कन्या के पिता के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।	कन्या की उम्र 18 वर्ष, वर की उम्र 21 वर्ष, पिता / माता का जाति प्रमाण पत्र, आय अधिकतम रू0 46000 / – प्रति वर्ष, विवाह का कार्ड	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	विकास खण्ड कार्यालय
5	कन्या सुमंगला योजना	बालिकाओं के जन्म से टीकाकरण एवं शिक्षा से जुडे 06 चरणों में रू 15,000 से जुड़ी आर्थिक सहायता। बालिका को मिलने वाली कुल धनराशि रू0 15000 / – (प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म पर रू0 2000 / – एकमुश्त, द्वितीय श्रेणी एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण रू0 1000 / – एकमुश्त, तृतीय श्रेणी कक्षा–1 में प्रवेश पर रू0 2000 / – एक मुश्त, चतुर्थ श्रेणी कक्षा–6 में प्रवेश पर रू0 2000 / – एक मुश्त, पंचम श्रेणी कक्षा–9 में प्रवेश पर रू0 3000 / – एक मुश्त, षष्टम श्रेणी कक्षा–10 के उपरान्त डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर व कक्षा–12 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर रू0 5000 / – एक मुश्त)	इस योजना में 2 बच्चों पर, जिसमें कन्या का होना आवश्यक है। आय अधिकतम रू0 300000 / – वार्षिक।	जिला प्रोबेशन अधिकार	एम.के.एस. वाई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
6	दिव्यांगजन पेंशन	रू0 1000 / – प्रतिमाह खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।	40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, ऑनलाईन आवेदन, पत्र की हार्ड कॉपी	जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी	विकास खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Uttar Pradesh State Legal Services Authority

केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं

क्र सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता की शर्तें	संबंधित विभाग/ नोडल अधिकारी	आवेदन करने का स्थान
7	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता।	ग्रामीण क्षेत्र के गरीब निर्धन परिवार जो कच्चे एवं फूस के मकान में निवास करते हों	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर से की जायेगी।
8	मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) के तहत लाभ नही मिला हो, उन लोगों को यूपी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी।	प्राकृतिक/दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार, कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार, जे.ई./ए.ई.एस. से प्रभावित परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग परिवार	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर से की जायेगी।
9	मनरेगा योजना	एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो देश में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। मनरेगा का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार प्रदान करना है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर– 2021–22 के प्रस्तर 7.4.12 के अनुसार व्यक्ति लाभार्थियों की श्रेणी निम्नानुसार है, जिन्हें व्यक्तिगत परिसम्पत्ति सृजन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। 1. अनुसूचित जाति 2. अनुसूचित जनजाति 3. घुमंतू जनजाति 4. जन–अधिसूचित जनजातियां 5. गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवार 6. महिला प्रधान गृहस्थी 7. शारीरिक रूप से विकलांग परिवार 8. भूमि सुधार के लाभार्थी 9. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत लाभार्थी 10. अनुसूचित जाति तथा अन्य पाराम्परिक वनवास(वन अधिकारी मन्यता) अधिनियम–6 के अधीन लाभार्थी और कृषि ऋण माफी ऋण राहत स्कीम 2008 के यथा परिभाषित लाभार्थी	उपायुक्त (श्रम रोजगार)	विकास खण्ड कार्यालय ए.डी.ओ. आई.एस.बी. /बी.एम.एम.
10	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्रामीण जनता जोकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास आय का कोई खास साधन नहीं है उन्हें सक्षम बनाने के लिए प्रभावशाली मंच प्रदान करना। आर.एफ. (रिवाल्विंग फण्ड)– 15000/– सी0आई0एफ0 (सामुदायिक निवेश निधि)– 110000/–	आर.एफ., सी.आई.एफ., सी.सी.एल, समस्त बी.पी.एल., परिवार इसमें शामिल हो सकते हैं।	उपायुक्त (स्वतः रोजगार)	विकास खण्ड कार्यालय
11	प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना (पी0एम0 किसान योजना)	समस्त लघु एवं सीमांत किसान परिवार को रू0 6000/– प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।	समस्त लघु एवं सीमांत किसान परिवार की आय में वृद्धि के लिये ।	कृषि विभाग	आवेदन ऑनलाईन माध्यम से
12	आयुष्मान भारत योजना	केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड (Ayushman Bharat Golden Card) जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से लाभार्थी अस्पताल में जाकर पांच लाख रुपये तक का इलाज करवा सकता है।	ग्रामीण परिवार– जिनके पास केवल 01 कमरे का मकान हो, भूमिहीन, दिव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति, आश्रयहीन, आदिवासी समूह, शहरी क्षेत्र में– भिखारी, घरेलू कामगार, मजदूर आदि।	स्वास्थ्य विभाग	आवेदन ऑनलाईन माध्यम से
13	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक/डाकघर खाते में सीधे ₹ 5000/– (तीन किश्तों में) के नकद प्रोत्साहन के साथ एक केंद्र प्रायोजित डीबीटी योजना है।	यह 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए।	महिला एवं बाल विकास/ सामाजिक कल्याण/ बाल विकास	आवेदन ऑनलाईन माध्यम से